



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र, इंदौर

सहायक वर्ग-3 के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 01/स्था./2010/19.07.2010

ऑनलाइन आवेदन करने की
अंतिम तिथि 10.08.2010

आयोग कार्यालय में आवेदन जमा
करने की अंतिम तिथि 20.08.2010

महत्वपूर्ण

1. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किये जायेंगे।
2. आवेदन पत्र दिनांक 25.7.2010 (दोपहर 12.00) से 10.08.2010 (रात्रि 12.00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते हैं।
3. जमा आवेदन-पत्र की हस्ताक्षरित प्रति के साथ स्वप्रमाणित दस्तावेजों सहित आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 20.08.2010 (सायं 5.30 बजे तक) निर्धारित है।

एक- भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत सहायक वर्ग-3 के बैकलॉग (अस्थायी) पदों हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र.	पद का नाम	कुल पद	रिक्तियों की वर्गवार संख्या				रिक्तियों में महिलाओं के लिये आरक्षित पद			
			अना. जाति	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि. व.	अना. जाति	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि. व.
1.	सहायक वर्ग-3 (Assistant Grade-3)	05	00	00	05	00	00	01	00	

टीप:- चयनित आवेदक की नियुक्ति दो वर्ष की परीक्षा पर की जायेगी। महिलाओं के लिये आरक्षित पद हेतु उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध न होने की स्थिति में पद उसी वर्ष के पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरे जा सकेंगे।

दो. अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित एक बैकलॉग पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं। अन्य श्रेणी के आवेदक कृपया आवेदन न करें।

तीन. पद का विवरण-

- (अ) पद का नाम : सहायक वर्ग-3 (Assistant Grade-3)
- (ब) विभाग का नाम : मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
- (स) श्रेणी : तृतीय श्रेणी
- (द) पद स्थिति : अस्थायी
- (इ) वेतनमान : रुपये 5200-20200 + ग्रेड पे 1900/- तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
- (फ) अनिवार्य अर्हताएं : (क) हायर सेकेंड्री अथवा 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण तथा मुद्रलेखन परिषद् भोपाल द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण।
(ख) निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
(3) डी.डी.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर परीक्षा उत्तीर्ण।
अथवा शासकीय पालीटेक्निक महाविद्यालय से 'माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट' पाठ्यक्रम।

Educational

- A. Higher Secondary or 10+2 examination passed and typing Examination passed from Madhya Pradesh Typing and Stenography Board.
- B. Candidate Must have passed Computer Examination from any of the following institution:-
1. Diploma from All Universities recognised by UGC
 2. Diploma from All Open Universities recognised by UGC
 3. Diploma Level Examination from DDEACC
- Or
Modern Office Management Course from Govt. Polytechnic College.

टीप - आवेदक के पास उपर्युक्त अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि, तक होना चाहिये। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी दिनांक को उक्त अर्हताएं अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों के लिये विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

चार. आयु सीमा- 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो परंतु 30 वर्ष पूर्ण न की हो। आयु संगणना तिथि 01.01.2011 होगी।

मध्यप्रदेश के मूल निवासी आवेदकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रहेगी। अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित उक्त पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं। अन्य श्रेणी के आवेदक कृपया आवेदन न करें।

मध्यप्रदेश शासन के स्थायी/अस्थायी तथा राज्य के निगम, मंडल, परिषद् नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारी (जिसमें महिला कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) तथा नगर सैनिकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रहेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उक्त श्रेणी के कर्मचारियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। उपरोक्त रियायत कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यन्वयन समितियों में नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगी। ऐसे आवेदकों को उक्त छूट के अतिरिक्त विज्ञापन के परिशिष्ट-1 (एक) में अंकित अन्य किसी छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा किन्तु परिशिष्ट-1 (दो) में उल्लिखित प्रोत्साहनस्वरूप देय छूटों में से अधिकतम छूट वाले किसी एक छूट का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा। आयु सीमा में अन्य छूटों के लिये परिशिष्ट-एक देखें।

पांच. मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अन्तर्गत अनर्हता -
अ. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गयी न्यूनतम आयु (पुरुष हेतु 21 वर्ष तथा महिला हेतु 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

छः. महत्वपूर्ण- यह मुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।

सात. अधिवार्षिकी आयु- 60 वर्ष
आठ. चयन प्रक्रिया- 1. (1) उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक, कम्प्यूटर प्रवीणता, परीक्षण में प्राप्तांक तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। (2) आवेदकों के चयन के संदर्भ में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

नौ. परीक्षा केंद्र तथा प्रवेश पत्र- कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षण, इंदौर स्थित परीक्षा केंद्र पर आयोजित किया जायेगा। कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षण हेतु प्रवेश-पत्र www.mponline.gov.in, www.mppsc.com तथा www.mppsc.nic.in वेबसाइटों पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। उक्त प्रवेश पत्र के अधिकृत कियोस्क से प्राप्त करने हेतु रुपये 5/- पोर्टल शुल्क देय होंगे। परीक्षा तिथि/साक्षात्कार तिथि तथा प्रवेश पत्र की उपलब्धता की सूचना यथा समय "रोज़गार और निर्माण" समाचार पत्र तथा स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

दस. आवेदन प्रक्रिया- उक्त पद हेतु आवेदन पत्र मात्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का अवलोकन करें।

ग्यारह. प्रत्येक उम्मीदवार का केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। किसी उम्मीदवार के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसके सभी आवेदन पत्र आयोग द्वारा निरस्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर प्रेषक के स्थान पर आवेदक का पूरा नाम तथा वर्तमान पता लिखना अनिवार्य होगा। लिफाफे के शीर्ष पर विज्ञापन क्रमांक तथा आवेदित पद का नाम तथा विभाग अवश्य अंकित करें।

बारह. यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता है तो पता परिवर्तन हेतु लिखित आवेदन पत्र आयोग को तत्काल प्रस्तुत करें। यद्यपि आयोग पता परिवर्तन के अनुसार कार्यवाही करने का पूरा प्रयास करता है, किंतु इस मामले में आयोग कोई उत्तरदायित्व नहीं ले सकता है।

तेरह. आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें -
(i) आयु सीमा की छूटें परिशिष्ट-एक
(ii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में जानकारी तथा निर्देश परिशिष्ट-दो।

पंद्रह. यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता है तो पता परिवर्तन हेतु लिखित आवेदन पत्र आयोग को तत्काल प्रस्तुत करें। यद्यपि आयोग पता परिवर्तन के अनुसार कार्यवाही करने का पूरा प्रयास करता है, किंतु इस मामले में आयोग कोई उत्तरदायित्व नहीं ले सकता है।

तेरह. आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें -
(i) आयु सीमा की छूटें परिशिष्ट-एक
(ii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में जानकारी तथा निर्देश परिशिष्ट-दो।

(एक) उच्चतम आयु सीमा में छूटें

- (1) भारत शासन द्वारा मध्यप्रदेश के लिये अधिसूचित अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 4 के अनुसार समस्त महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी। यह छूट आरक्षित वर्ग की आवेदिकाओं तथा विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को उन्हें देय 05 वर्ष की छूट के अतिरिक्त होगी।
- (3) विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त विशेष छूट देय होगी।
टीप:- ऐसी महिला आवेदन के लिये पात्र नहीं होगी, जिसकी सब छूटें जोड़कर अधिवार्षिकी आयु हो जाये। (पद की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष है)
- (4) मध्यप्रदेश शासन के स्थायी/अस्थायी तथा राज्य के निगम, मंडल, परिषद् नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारी (जिसमें महिला कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) तथा नगर सैनिकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रहेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उक्त श्रेणी के कर्मचारियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। उपरोक्त रियायत कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यन्वयन समितियों में नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगी।
- (5) सा.प्र.वि. के ज्ञापन क्रमांक सी-124-तीन/आर-88/1(11-1) 66 दिनांक 1.1.1963 के बाद में नेशनल केडेट कोर में पूर्णकालिक अनुदेशक के रूप में भर्ती हुए हों तथा उसके प्रारंभिक बड़े हुए कार्यकाल के बाद सेवा मुक्त हुए हों, ऐसे आवेदकों हेतु उनकी पिछली सेवा अवधि घटायी जा सकेगी परंतु परिणामस्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हों।
- (6) ऐसा अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि (भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवा का योग हो) कम कराने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके परिणामस्वरूप उसकी आयु निर्धारित आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक

परिशिष्ट-1

नहीं होना चाहिये।

स्पष्टीकरण-

छटनी किये गये सरकारी सेवक से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी भी संगठक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छः मास तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(7) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किंतु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूटें

(1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्डधारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-40/आ/84/(3) 1, दिनांक 11 जनवरी, 1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जायेगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1, दिनांक 3.9.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप- (1) परिशिष्ट-एक (एक) में दर्शायी गई छूटों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक शासन द्वारा बिंदु क्रमांक (एक) के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न वर्गों के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ ही प्राप्त होगा।

(2) परिशिष्ट-एक (दो) के अन्तर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अन्तर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट मिलेगी। यह छूट परिशिष्ट एक (एक) में दी गई छूट के अतिरिक्त होगी।

(3) मध्यप्रदेश शासन के स्थायी/अस्थायी तथा राज्य के निगम, मंडल, परिषद् नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारी (जिसमें महिला कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) तथा नगर सैनिकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रहेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उक्त श्रेणी के कर्मचारियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। उपरोक्त रियायत कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगी। ऐसे आवेदकों को उक्त छूट के अतिरिक्त विज्ञापन के परिशिष्ट-1 (एक) में अंकित अन्य किसी छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा किन्तु परिशिष्ट-1 (दो) में उल्लेखित प्रोत्साहनस्वरूप देय छूटों में से अधिकतम छूट वाले किसी एक छूट का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।

नोट- उपरोक्त परिशिष्ट-एक (एक) परिशिष्ट-एक (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

परिशिष्ट-2

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. सहायक वर्ग-3 (Assistant Grade-3) के पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे-

1. www.mponline.gov.in
2. www.mppsc.com
3. www.mppsc.nic.in

2. आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोस्क पर ही कियोस्क शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्कों की सूची www.mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।

3. आवेदक स्वयं अपने घर पर या इंटरनेट कैंफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर तथा यूनियन बैंक के नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

4. आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने अद्यतन फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्कैन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। www.mponline.gov.in के KIOSK पर स्कैनिंग की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।

5. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

6. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिये गये निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, श्रेणी, उत्तीर्ण करने का वर्ष औरासत प्रतिशत एवं अन्य प्रमाणिकता जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।

7. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् ही आवेदन Submit करें।

8. आवेदन पत्र Submit करने के बाद खुलने वाले Pop up Window में आवेदक को उसके आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन पत्र क्रमांक का भी उल्लेख होगा। साथ ही आवेदक को उसके द्वारा प्रविष्टि किये गये आवेदन पत्र की प्रती भी प्राप्त होगी जिसमें उसके द्वारा की गयी समस्त प्रविष्टियाँ उल्लेखित होंगी। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट कर अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

9. आवेदन पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश-

(1) ऑनलाइन आवेदन करने के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र की एक छायाप्रति करायें। उक्त छायाप्रति अपने पास सुरक्षित रखें।

(2) मूल आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें। उक्त हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र के

साथ अपने सभी अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें तथा उसके साथ प्राप्तकर्ता के स्थान पर अपना वर्तमान पता लिखें हुए तथा 6/- रुपये के डाक टिकट लगे दो लिफाफे संलग्न करें।

(3) आवेदन पत्र तथा उसके साथ संलग्न अभिलेख/लिफाफे एक लिफाफे में रखें। एक लिफाफे में केवल एक आवेदन पत्र रखें।

(4) लिफाफे के ऊपर प्रेषक के स्थान पर अपना नाम तथा वर्तमान पता एवं लिफाफे के शीर्ष पर विज्ञापन क्रमांक तथा आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करें। उक्त विवरण के बिना प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचारण संभव नहीं होगा।

(5) आवेदन-पत्र पंजीबद्ध डाक अथवा अन्य विश्वसनीय माध्यम से आयोग कार्यालय को भेजें।

(6) ध्यान रखें सहपत्रों सहित उक्त आवेदन पत्र दिनांक 20.8.2010 को सायं 5.30 बजे तक आयोग कार्यालय में पहुंचने पर ही समयावधि में प्राप्त माना जायेगा।

(7) आवेदन-पत्र उक्त दिनांक तथा समय तक समस्त कार्यदिवसों में कार्यालयीन समय (प्रातः 10.30 से सायं 5.30 बजे तक) आयोग कार्यालय में भी प्राप्त किये जायेंगे तथा प्राप्ति की रसीद दी जायेगी।

आवेदन- पत्र भेजने का पता-

सचिव,

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,

रेसीडेंसी क्षेत्र,

इंदौर- 452001.

11. विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किये जायेंगे तथा जमा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। अतः आवेदक अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करने के बजाय पर्याप्त समय पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर आवेदन-पत्र आयोग को प्रेषित करें।

12. आवेदक www.mponline.gov.in से ही आयोग कार्यालय में अपने आवेदन पत्र की प्राप्ति की सूचना प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु आवेदक को वेबसाइट में विहित स्थान पर अपने आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्मतिथि की प्रविष्टि करनी होगी।

13. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि, उसके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वह परीक्षा हाल की उपस्थिति सूची, साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2. शुल्क

उक्त पद हेतु आवेदन करने हेतु कोई भी आवेदन शुल्क अथवा परीक्षा शुल्क देय नहीं है। मात्र 40/- रु. पोर्टल शुल्क देय है।

पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एम.पी. ऑनलाइन के निम्न दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड, निरुपम शांति माल, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल-422026

दूरभाष क्रमांक (0755) 4019401-4019406, काल सेंटर-155343 (टोल फ्री)

मोबाइल :- (तकनीकी समस्या के लिए) तनमय तिवारी 3900282449 एवं राजेश गुर्जर 9009841980

नोट:- यदि आपको ऑनलाइन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गये दूरभाष नंबरों पर तत्काल संपर्क करें:-

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर

(0731) 2701624, 2701983

एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड, निरुपम शांति माल, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड,

भोपाल-422026

फोन (0755) 2418599, 2418600, 2418706, 2418617, कॉल सेंटर 18002335343

तथा 155343 (टोल फ्री)

मोबाइल :- (तकनीकी समस्या के लिए) विपुल 9424719269, तनमय तिवारी 3900282449

एवं राजेश गुर्जर 9009841980

3. आवेदन की अंतिम तिथि

(अ) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 10.8.2010 है। अंतिम तिथि को रात्रि 12.00 के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

(ब) स्वप्रमाणित सहपत्रों सहित आवेदन-पत्र आयोग कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 20.08.2010 (सायं 5.30 बजे तक) है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त किये जायेंगे।

4. आवेदक आयोग को प्रेषित किये जाने वाले आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।

आयु संबंधी प्रमाण के लिये- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र- (अ) हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है। समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकसूचियाँ।

(ब) मध्यप्रदेश मुद्रलेखन तथा शीघ्रलेखन परिपद से मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र।

(स) कम्प्यूटर प्रवीणता हेतु अर्जित डिप्लोमा प्रमाण-पत्र।

अनुभव के प्रमाण पत्र - अनुभव प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। अनुभव प्रमाण-पत्र में धारित पद, सेवा अवधि तथा कार्य के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण पत्र-

अनुसूचित जनजाति का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो

आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। यदि आवेदन पत्र के साथ वैध प्रावधिक जाति प्रमाण (जो कि आवेदन की अंतिम तिथि को छः माह के भीतर की अवधि में जारी हुआ हो) संलग्न किया जाता है तो साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि आवेदक साक्षात्कार के समय स्थायी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संबंध में आवेदक का कोई बचनपत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम उल्लेखित जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जायेगा। विवाहित महिलाएँ विवाहोपरान्त नाम/उपनाम परिवर्तन (पिता/पति) का शपथ पत्र संलग्न करें।

तर्ध रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

(शेष अगले पृष्ठ पर)